न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0————71/2022
प्रविष्टि दिनांक ———29.3.2022

1. देवेन्द्र पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी सिरस तहसील निवाई जिला टोंक
2. ताराचन्द पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी सिरस तहसील निवाई जिला टोंक
3. बद्री पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी सिरस तहसील निवाई जिला टोंक
4. केदार पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी सिरस तहसील निवाई जिला टोंक
5. रामकरण पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी सिरस तहसील निवाई जिला टोंक

—वादीगण

बनाम

1. गोविन्द सिंह पुत्र खुमान सिंह जाति राजपूत निवासी सिरस तहसील निवाई जिला टोंक
2. इन्द्र सिंह पुत्र खुमान सिंह जाति राजपूत निवासी सिरस तहसील निवाई जिला टोंक
3. औंकार पुत्र लादिया जाति जाट निवासी सिरस तहसील निवाई जिला टोंक
4. सत्यनारायण पुत्र लादिया निवासी सिरस तहसील निवाई जिला टोंक
5. तहसीलदार निवाई

—प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री हीरालाल चौधरी—अभिभाषक, प्रार्थीगण
श्री ....अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र—अन्तर्गत धारा 21, 251(ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
बाबत प्रदान किये जाने रास्ता

निर्णय

दिनांक—....06/2/25

प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2632 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम सिरस पटवार हल्का सिरस तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि मे जाने आने के लिए खसरा नंबर 2620/2 तक रास्ता स्थित है इसके बाद प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 2632 पर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 2620/3, 2619/1 के मध्य से स्थित मेर के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम अपनी भूमि पर आते जाते है। अतः प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2632 मे आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 2619/1 की उत्तरी मेर एवं खसरा नंबर 2620/3 की दक्षिणी मेर के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिाम तक 12 फिट चौडा रास्ता प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे अधिवक्ता वादीगण द्वारा जमाबंदी संवत 2070 से 2073, नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की जा शामिल पत्रावली है।

प्रकरण मे तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सिरस के खसरा नंबर 2632 वादी की खातेदारी मे है जिसमे वादी की भूमि तक पहुचने के लिए वैकल्पिक मार्ग रिकार्ड व मौके पर प्रदर्शित नही है। वादी को रास्ता की आवश्यकता आंत्यातिक है। वादीगण द्वारा चाहा गय रास्ता खसरा नंबर 2620/3 व 2619/1 मे होकर चाहा गया है जो प्रतिवादीगण के नाम अंकित है। प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 379.38 वर्गमीटर है। वर्तमान डीएलसी दर 878800 रूपये प्रति हेक्टेयर है। रास्ते के मध्य कोई संरचना, पेड दीवार आदि नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। प्रस्तावित रास्ते को लेकर न्यायलय मे कोई वाद विचाराधीन नही है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस मे पीले रंग से दर्शाया गया है। मौके पर उपलब्ध रास्ते को हरे रंग से दर्शाया गया है। वादी की खातेदारी की भूमि को ऑरेन्ज कलर से दर्शाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की पुष्टि मे जमाबंदी, नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थीगण बावजूद तामील के उपस्थित नही हुए। उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

इसके पश्चात प्रकरण मे बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने अपने कथनो को दोहराया। हमने बहस पर मनन किया एवं प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अनुसार यदि कोई खातेदार के पास अपनी भूमि मे जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नही होने पर सुखाचार के तहत नजदीकी अपनी भूमि की पहुच तक अन्य खातेदारी की भूमि मे से रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण भी उस प्रावधान के तहत प्रस्तुत कया गया है। वाद पत्र मे अंकित तथ्यो का उक्त प्रावधान अनुसार परीक्षण के तहत पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी के अवलोकन किया गया। नजरी नक्शो से स्पष्ट है कि मौके पर खसरा नंबर 2613 व 2963/2619 व 2965/2620 के रास्ता है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है और इस रास्ते से प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 2632 पर जाने के लिए सबसे निकटतम रास्ता खसरा नंबर 2613 व 2963/2619 व 2965/2620 ख.न. 2620/3 मे से है जो कि प्रतिवादीगण की खातेदारी मे है। पैरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार वादी की भूमि खसरा नंबर 2632 तक पहुचने के लिए वैकल्पिक मार्ग राजस्व रिकार्ड प्रदर्शित नही है, लेकिन मौके पर उलब्ध मार्ग को दर्शाया गया है। प्रार्थीगण ने जिस धारा के तहत वाद प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार सुखाचार के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए मे प्रावधान किये गये है लेकिन काश्तकार के सुखाचार हेतु राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 क के अनुसार सशर्त प्रावधान किये गये है। उक्त धारा के तहत नवीन मार्ग की स्वीकृति के संबंध मे आवश्यक तत्व/शर्ते निर्धारित किये गये है:–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और

(2) अन्य खतेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।

उक्त सिद्धान्तो की सिद्धि पर खातेदार को उसकी खातेदारी मे आने जाने हेतु अन्य खातेदारो की भूमि मे से रास्ता उपलब्ध कराया जा सकता है और इस तथ्य की पुष्ठि तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के अनुसार वादी को रास्ता की आवश्यकता आंत्यातिक है। एवं वैकल्पिक मार्ग नही होने के तथ्य से होती है। अर्थात रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होता है। प्रतिपक्षीगण का बावजूद तामील के उपस्थित नही होना वाद पत्र के तथ्यो की स्वीकारोक्ति को दर्शाता है। अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थनापत्र राजस्थान अन्तर्गत धारा 251(2) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रावधानो एवं उदेश्य के प्रावधानो की परिधी मे होने एवं न्याय संगत होने की दृष्टि से स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत प्रदान किये जाने रास्ता, मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य दस्तावेजो के आलोक मे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2632 मे आने जाने के लिए भूमि खसरा नंबर 2619/1 की उत्तरी मेर एवं खसरा नंबर 2620/3 की दक्षिणी मेर के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम तक 12 फिट चौडा रास्ता दिया जाकर, राजस्व रिकार्ड मे अंकिन किया जावे तथा रास्ते के कुल भूमि का वर्तमान डी.एल.सी. दर से नियमानुसार राशि जमा राजकोष करवाकर, रास्ते का अंकन किया जाकर पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 06/02/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला, टोंक
(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0––16/2021

प्रविष्टि दिनांक ––15.2.2021

उनवान

जगदीश पुत्र पांच्या जाति बैरवा निवासी करणपुरा, तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान

प्रार्थी/वादी

वनाम

तहसीलदार निवाई जिला टोंक

प्रतिवादी

उपस्थित–1. श्री बनवारी लाल यादव–वकील वादी /प्रार्थी
पैरोकार सरकार–वकील प्रतिवादी /अप्रार्थी

निर्णय
प्रार्थनापत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज

दिनांक–06-02-25

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादी द्वारा एक वाद पत्र बाबत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम , दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार वादी प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 76 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम सरसडीरामपुरा तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है। वादी के पिता पांच्या के पिता का नाम लाला है जो अन्य भूमि खसरा नंबर 26/1, 26/2, 27/2 जो ग्राम करणपुरा मे स्थित है। इससे स्पष्ट है कि भूमि को प्रतापा पुत्र श्रीया से खरीदने के कारण सहवन से पांच्या पुत्र श्रीया अंकित हो गया जबकि वादी के पिता के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि मे वादी के पिता की वल्दीयत लाला ही अंकित है परन्तु राजस्व कर्मचारियो ने सहवन से उक्त भूमि की जमाबंदी मे पांच्या पुत्र श्रीया गलत रूप से अंकित कर दिया। वादी के पिता पांच्या पुत्र लाला के अलावा कोई पांच्या पुत्र श्रीया नही है। अतः वादी के पिता की वल्दीयत को दुरूस्त किया जाकर उक्त जमाबंदी मे गलत नाम को सही किया जावे तथा वादी के पिता की वल्दीयत पांच्या पुत्र श्रीया के स्थान पर पांच्या पुत्र लाला अंकित किया जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2070–2073, नक्शा ट्रेस, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

पैरोकार सरकार की ओर से स्वीकारोक्ति जवाब प्रस्तुत किया, जिसमे अंकितानुसार ग्राम सरसडी की जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता सं0 55 मे खसरा नंबर 76 मे रामपाल पुत्र लाला, रामरतन प्रहलाद अशोक पि0 रामकरण, रामअवतार पुत्र बालू , जमना पत्नी जगन्नाथ , पांच्या पुत्र श्रीया अंकित है। उक्त ग्राम की बन्दोबस्त मे देवी सिंह व सवाईसिंह वल्द बहादुर सिंह, जतन सिंह व गुमान सिंह वल्दहरनाथ सिंह, नन्दसिंह व छगनसिंह व गंगासिंह व स्वरूप सिंह वल्द गोपालसिंह अमरसिंह गणपतसिंह पि0 भंवरसिंह दर्ज है। जमाबंदी संवत 2029–32 मे उक्त भूमि मे लाला पुत्र गोपाल अंकित है। उक्त भूमि खरीदी हुई है और जर्ये नामान्तरकरण सं0 3 से खरीदी है जिसमे वादी के पिता का नाम पांच्या पुत्र श्रीया दर्ज है।

अधिवक्ता वादी द्वारा पीडब्ल्यू–1 जगदीश के बयान करवाये गये।

प्रकरण मे अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमे वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए अंकित किया गया।

हमने वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं प्रकरण मे प्रस्तुत साक्ष्यो का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2070–73 मे प्रार्थी के पिता का नाम पांच्या पुत्र श्रीया अंकित है। ग्राम पंचायत बनस्थली के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम पांचू पुत्र लाला बैरवा है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाना उचित है तथा ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। नामान्तरकरण के अवलोकन से

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

भी स्पष्ट है कि देवीसिंह आदि द्वारा भूमि का बेचान लाला वल्द गोपाल को किया गया है यह तथ्य भी सही है कि विक्रय पत्र मे अंकितानुसार प्रताप पुत्र श्रीया द्वारा किया गया है। पैरोकार सरकार द्वार भी उक्त त्रुटि को स्वीकार किया गया है संभवतः नामान्तरकरण के दौरान बेचान का इन्द्राज करते समय गलत नाम से इन्द्राज कर दिया गया हो जो लिपिकिय त्रुटि प्रतीत होती है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सही किये जाने योग्य है तथा जिसके अनुसार उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन को दुरूस्त कराने के प्रार्थी अधिकारी है। पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्य उक्त त्रुटि को साबित करते है। अतः दस्तावेजो के आलोक मे प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

फलतः प्रार्थी वादी का वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर, तहसीलदार **निवाई** को निर्देशित किया जाता है कि जमावंदी संवत 2070–2073 के खाता सं0 55 मे वर्णित आराजी खसरा नंबर 76 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम सरसडीरामपुरा तहसील निवाई जिला टोंक मे अंकित नाम **''पांच्या पुत्र श्रीया''** के स्थान पर **''पांच्या पुत्र लाला** शुद्ध कर, शेष अंकन को यथावत रखते हुए, उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक** 06-02-25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी निवाई